INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 2, February 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

बाल विवाह अधिनियम, *2006* और मुस्लिम कानून में बाल विवाह की अनुमति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अमोल मेश्राम
शोधार्थी स्कूल ऑफ़ लॉ विक्रम वि. वि. उज्जैन म. प्र
Email- meshramamol79@gmail.com
डॉ मनीन्द्र कुमार सिंह
सहायक प्राध्यापक
शासकीय विधी महाविद्यालय उज्जैन

सार (Abstract)

बाल विवाह भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक-कानूनी समस्या रही है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु कई विधायी प्रयास किए जिनमें *बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006* (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरी ओर भारत में मुस्लिम समुदाय पर लागू मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) में विवाह की वैधता को *यौवन (puberty)* से जोड़ा गया है, न कि निश्चित आयु से इस स्थिति ने धर्मनिरपेक्ष कानून और व्यक्तिगत कानून के बीच टकराव (conflict) को जन्म दिया है यह शोध पत्र बाल विवाह अधिनियम, 2006 और मुस्लिम कानून के प्रावधानों का तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है तथा न्यायिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों और सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करता है।

मुख्य शब्द (key word)- बाल विवाह, बाल विवाह अधिनियम 2006, मुस्लिम कानून, यौवन, व्यक्तिगत कानून, महिला अधिकार

---

1. भूमिका (Introduction)

बाल विवाह का अर्थ है ऐसा विवाह जिसमें पक्षकारों में से एक या दोनों विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से कम आयु के हों भारत में यह प्रथा सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक और पारंपरिक कारणों से लंबे समय तक विद्यमान रही, बाल विवाह का सीधा प्रभाव बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिमा और मानवाधिकारों पर पड़ता है।

भारत का संविधान समानता (अनुच्छेद 14), भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 15) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) की गारंटी देता है इसी संवैधानिक पृष्ठभूमि में बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम, 2006 को लागू किया गया है, किंतु मुस्लिम समुदाय में विवाह से संबंधित विषय मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आते हैं, जिससे बाल विवाह के प्रश्न पर विशेष जटिलता उत्पन्न होती रही है।

2. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का प्रमुख उद्देश्य-

- बाल विवाह को *प्रतिषिद्ध (prohibit)* करना
- बाल विवाह को *शून्यकरणीय (voidable)* बनाना
- बाल विवाह से उत्पन्न दुष्परिणामों से हर समुदाय के बच्चों की रक्षा करना और
- दोषियों के लिए अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान करना

अधिनियम की धारा 2(a) के अनुसार पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु: **21 वर्ष एवं** महिला के लिए विवाह की न्यूनतम आयु: **18 वर्ष है** इन आयु सीमाओं से कम आयु में किया गया विवाह *बाल विवाह* कहलाता है बाल विवाह की वैधता के बारे में कहा जाये तो सामान्यतः बाल विवाह *शून्य (void)* नहीं होते बल्कि *शून्यकरणीय (voidable)* होते है, अधिनिया की धारा 3(3) के अनुसार बालक या बालिका के व्यस्क होने के 2 वर्ष के भीतर न्यायालय में विवाह निरस्त करा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे अपहरण, तस्करी, बलपूर्वक विवाह) में बाल विवाह को *पूर्णतः शून्य* माना गया है इसके लिए दंडात्मक प्रावधान भी किये गए है की बाल विवाह कराने, प्रोत्साहित करने या उसमें सहभागी होने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है माता-पिता, अभिभावक और विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति दंड के भागी होते हैं।

3. मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में बाल विवाह-

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में वयस्कता प्राप्त करने के प्रचलित मानकों के अनुसार बाल विवाह की स्थिति सामान्य कानूनों में दी गई निर्धारित आयु से भिन्न होती है मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में विवाह की क्षमता के तहत दो आवश्यकताएं हैं, पहला स्वस्थ दिमाग और दूसरा वयस्कता, हालाँकि एक मुस्लिम 15 साल की उम्र में वयस्कता (यौवन) प्राप्त कर लेता है ऐसे ही एक वाद जिसमें ***नवाब सादिक अली खान बनाम जया किशोरी*** के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि लड़की की वयस्कता की उम्र 9 वर्ष है, जबकि हेदाया कानून के तहत एक लड़के के लिए प्रारंभिक अवधि 12 वर्ष और लड़की के लिए 9 वर्ष है।

हालाँकि, बाल विवाह को सफल बनाने के लिए अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है जिसे बाद में युवावस्था में पहुंचने पर ऐसे नाबालिग द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है यद्यपि विवाह को अस्वीकार करने के लिए भी अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है, बशर्ते कि विवाह संपन्न न हुआ हो इसके अलावा, मुस्लिम विधि के अनुसार उन मुस्लिम बालको का विवाह वैध है जिन्होंने यौवन प्राप्त कर लिया है।

विवाह के खण्डन के लिए यौवन का विकल्प ही सारभूत है. यह दोनों पक्षों को दिया गया अधिकार है कि वे अभिभावक की सहमति से उस विवाह को रद्द कर सकते हैं जो अनुबंध करने वाले पक्षों के नाबालिग होने पर किया गया था मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 (vii) के तहत तलाक का एक विकल्प भी है, जिसमें पति-पत्नी के बीच यदि संबंध नहीं बने है तो नाबालिग, विवाह को यौवन प्राप्त करने के बाद या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह को अस्वीकार कर सकते है, इस संबंध में उसका तलाक का अधिकार उसी क्षण खो जाता है जब:

1. वह 18 वर्ष की होने से पहले उक्त विवाह को अस्वीकार करने में विफल रहती है, यह उक्त विवाह को जारी रखने की उसकी इच्छा को दर्शाता है;
2. यदि बालक महिला अपने पति के साथ यौन संबंध स्थापित करती है, तो उक्त विवाह को जारी रखने की उसकी इच्छा को दर्शाता है, और यौन संबंध और संतानोत्पत्ति (प्रोक्रिएशन) विवाह की कानूनी घटनाएं हैं, हालाँकि, ***शबनम बनाम मोहम्मद शाबिर*** **मामले** में राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि अगर लड़की 15 वर्ष की आयु से पहले शादी कर लेती है, तो वह तलाक का अधिकार नहीं खोएगी।

हाल ही में, ***जसप्रीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य*** का एक मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसने बाल विवाह के संबंध में व्यक्तिगत कानून या सामान्य कानून की प्रायोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के बीच कानूनी पहेली को फिर से स्थापित कर दिया गया है ।

4. तथ्य -

जसप्रीत कौर नाम की लड़की ने अजीम खान नाम के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी यह कहा गया था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जबकि पुरुष भले ही नाबालिग हो, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत शादी कर सकता है और उसने उत्तरदाताओं की इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने जावेद मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायलय का दरवाजा खटखटाया उच्चतम न्यायलय ने 13 जनवरी को NCPCR की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि जावेद बनाम हरियाणा राज्य के फैसले पर किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम व्यक्तिगत कानूनों पर प्रभावी होगा।

सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य की पृष्ठभूमि क्या थी?

- सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की गई थी।
- इस मुद्दे पर भारत में डेढ़ शताब्दी से अधिक समय से विवाद चल रहा है, जिसका उल्लेख वर्ष 1885 में रुखमाबाई द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखे गए पत्र में मिलता है।
- NGO ने बाल विवाह के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्य किया है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) के अस्तित्व के बावजूद भारत में बाल विवाह की खतरनाक दर के बारे में चिंता जताई है यह चिंता सभी धर्मो में होने वाले बाल विवाह से सम्बंधित है सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सरकारी संगठन **'सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन'** द्वारा दायर एक याचिका में बाल विवाह पर रोक के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए।

5. भारत में बाल विवाह के प्रचलन के लिए जिम्मेदार कारक-

- **गरीबी और संसाधनों की कमी:** वित्तीय बोझ, विशेषकर दहेज को कम करने और शिक्षा के खर्च के लिए परिवार अक्सर बेटियों की शादी जल्दी कर देते हैं और लड़कियों को आर्थिक देनदारी के रूप में देखते हैं।
- **गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं:** रूढ़िवादी समाजों में, बाल विवाह को पारिवारिक सम्मान को बनाए रखने, कौमार्य सुनिश्चित करने और लड़कियों को विवाह पूर्व यौन संबंधों से बचाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक, धार्मिक, जड़े जमा चुके रीति-रिवाज और बाल विवाह की सामाजिक स्वीकृति बाल विवाह की व्यापकता के मुख्य कारण हैं।
- **पितृसत्तात्मकता और लैंगिक असमानता:** लड़कियों को परिवार पर बोझ के रूप में देखा जाता है और कम उम्र में अपनी बेटी की शादी करना इस 'बोझ' को उसके पति के परिवार पर स्थानांतरित करके आर्थिक कठिनाई को कम करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
- **लड़कियों की शिक्षा को कम महत्त्व देना:** लड़कियों की शिक्षा में निवेश को कमतर आंका जाता है। खराब शैक्षिक अवसर के कारण बच्चे विवाह का विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैकल्पिक आकांक्षाएं कम हो जाती हैं।
- **सुरक्षा और संरक्षा का भय:** कई माता-पिता महसूस करते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी जल्दी शादी करना उनके हित में है। ऐसा विशेषकर उन स्थितियों में किया जाता है, जहां परिवार या जान पहचान में लड़कियों को उत्पीड़न और शारीरिक या यौन उत्पीड़न का अधिक खतरा होता है।
- **कानूनी और प्रवर्तन अंतराल:** कमजोर कानून प्रवर्तन, जागरूकता की कमी और विशेष रूप से ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त निगरानी के कारण बाल विवाह का जोखिम बना रहता है। जैसे- बाल विवाह के मामलों में दोषसिद्धि और रिपोर्टिंग बेहद कम होती है।

6. सरकार द्वारा उठाए गए कदम-

- **'बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006' का प्रवर्तन:** यह 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम की **धारा 16** राज्य सरकार को बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत करती है।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** इसमें उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, जिनकी विवाह की उम्र होने से पहले ही विवाह करा दिए जाने का खतरा है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (2015):** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और पुत्र-प्रधान रीति-रिवाजों को चुनौती देना है। इसमें बालिकाओं के जन्म पर उत्सव मनाने, सुकन्या समृद्धि खातों को बालिकाओं के जन्म से जोड़ने और बाल विवाह को रोकने के घटक शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):** यह आयोग बाल विवाह के मुद्दे पर बाल कल्याण समितियों (CWC), पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों के साथ विविध गतिविधियां संचालित करता है।
- **बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** यह एक व्यापक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य उन लड़कियों को सहायता प्रदान करना है, जिनका कम उम्र में विवाह होने का खतरा है। इसमें बेहतर डेटा संग्रह, जागरूकता कार्यक्रम और राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच मजबूत समन्वय शामिल है।
- **आपातकालीन आउटरीच सेवाएं:** भारत सरकार ने शॉर्ट कोड 1098 के साथ चाइल्डलाइन की शुरुआत की है। यह बाल विवाह की रोकथाम सहित संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24x7 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है।
- **यूनिसेफ और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ राज्य सरकारों की साझेदारी:** उदाहरण के लिए, यूनिसेफ द्वारा बिहार में बाल विवाह पर स्थानीय धार्मिक गुरुओं तथा कथावाचकों का क्षमता निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, ग्रामीण स्तर पर द्वार दूत के रूप में कार्य करने के लिए युवाचार्यों का एक समूह तैयार किया जा रहा है।
- इन तमाम कानूनों के होने, साथ ही सरकारी योजनाओ के और राष्ट्रीय स्तर पर लागू योजनाये एवं अन्य अन्तराष्ट्रीय एजेंसिया के जारी दिशा निर्देश होने के बावजूद समाज मुस्लिम बाल विवाह को कम करने में असहाय महसूस कर रहा है ।

7. मुस्लिम कानून में विवाह और आयु की अवधारणा एवं संरक्षक द्वारा विवाह-

मुस्लिम कानून में विवाह एक *नागरिक अनुबंध (civil contract)* माना जाता है इसकी वैधता के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति (इजाब-ओ-कुबूल) सक्षम पक्षकारो का होना एवं गवाहों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है इसके साथ यौवन (Puberty) की अवधारणा इस प्रकार की जाती है की सामान्यतः यौवन की आयु **15 वर्ष** मानी जाती है कुछ मामलों में यौवन 12–15 वर्ष के बीच भी स्वीकार किया गया है इसका अर्थ यह है कि यदि लड़का या लड़की यौवन प्राप्त कर चुके हैं, तो उनका विवाह वैध माना जा सकता है, भले ही उनकी आयु 18 या 21 वर्ष से कम हो मुस्लिम कानून में नाबालिग का विवाह उसके *वली (guardian)* द्वारा कराया जा सकता है यौवन प्राप्त करने के बाद नाबालिग को *विकल्प-ए-यौवन (Option of Puberty)* के अंतर्गत विवाह को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होता है।

8. बाल विवाह अधिनियम, 2006 और मुस्लिम कानून : टकराव का प्रश्न-

बाल विवाह अधिनियम, 2006 एक *धर्मनिरपेक्ष* कानून है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है दूसरी ओर, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) के अंतर्गत संरक्षित माना जाता है मुख्य प्रश्न यह है कि:

- क्या बाल विवाह अधिनियम मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर प्रभावी है?
- क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर बाल विवाह की अनुमति दी जा सकती है?

भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत कानून भी संविधान के अधीन हैं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा की रक्षा *सार्वजनिक नीति* का विषय हैहाल के निर्णयों में यह दृष्टिकोण उभर कर आया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 मुस्लिम समुदाय पर भी लागू होता है और व्यक्तिगत कानून के आधार पर बाल विवाह को वैध नहीं ठहराया जा सकता।

9. अंतरराष्ट्रीय दायित्व-

भारत CEDAW और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRC) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पक्षकार है, जो बाल विवाह के उन्मूलन पर बल देते हैं।

10. विश्लेषण और सुझाव-

बाल विवाह अधिनियम, 2006 का उद्देश्य सामाजिक सुधार है_मुस्लिम कानून में यौवन आधारित विवाह की अवधारणा आधुनिक मानवाधिकार मानकों से मेल नहीं खाती_व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या संविधान के अनुरूप की जानी चाहिए । बाल विवाह अधिनियम की *स्पष्ट सर्वोच्चता* सुनिश्चित की जाए और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की प्रगतिशील व्याख्या की जाए एवं समुदाय-स्तर पर जागरूकता और शिक्षा पर बल दिया जाए और अंत में न्यायिक हस्तक्षेप के साथ-साथ विधायी स्पष्टता लाई जाए

11. निष्कर्ष (Conclusion)-

विभिन्न प्रयासों के बावजूद, इस विषय में सामाजिक सुधार नहीं हुआ व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह निशाना न बनाते हुए देश की संसद और भारत के नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रति और अधिक गंभीर होना होगा कानूनों को आधुनिक समय के अनुरूप होना चाहिए और अदालतों को प्रगतिशील मानसिकता के साथ उनकी व्याख्या करनी चाहिए पहले के समय में जो बात सामान्य मानी जाती थी क्या आज बदलते समय के साथ उसे अपराध माना जाने लगा है? इस प्रकार, कानूनों के साथ-साथ कानून निर्माताओं और उन्हें बनाए रखने की उम्मीद रखने वाले निकायों को भी इसे बनाए रखना चाहिए, जो समय की मांग है।

यह स्पष्ट है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और मुस्लिम कानून के बीच बाल विवाह के प्रश्न पर टकराव विद्यमान है। किंतु संवैधानिक मूल्यों, महिला एवं बाल अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बाल विवाह अधिनियम को सर्वोपरि माना जाए। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं हो सकता। अतः एक समन्वयात्मक और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर बाल विवाह की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जवाब तलब किया जिसमें सूबे में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत शादी की न्यूनतम उम्र के प्रावधानों को सभी समुदायों पर समान तरीके से लागू कराए जाने की गुहार की गई है याचिका में दावा किया

गया है कि शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को लेकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम 1937 के बीच ''टकराव'' की स्थिति है।

12. संदर्भ (References)-

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
2. मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937
3. भारतीय संविधान, जय नारायण पाण्डेय 2010 Ed.
4. CEDAW और CRC दस्तावेज
5. सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों के प्रासंगिक निर्णय
6. *https://www.unicef.org/india/what-we-do/end-child-marriage*
7. *https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/child-marriage-india-1293581-2018-07-23*
8. *https://theprint.in/judiciary/muslim-law-allows-minor-girls-to-marry-anyone-on-attaining-puberty-says-punjab-harana-hc/602868/*
9. मुस्लिम विधि लेखक पारस दीवान २०२४ Ed
10. मुस्लिम विधि आर.आर.मौर्या, 2021 Ed.

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.